

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

का0आ0सं0: यो0स्था03/1-13/2018- /यो0वि0,पटना,दिनांक जनवरी, 2019
कार्यालय आदेश

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 (विज्ञापन संख्या-07070114) के आधार पर अनुशासित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को बिहार अवर योजना सेवा के अंतर्गत योजना सहायक के पद पर पे लेवल-7 (₹44900-142400) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परीक्ष्यमान योजना सहायक के रूप में पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र0	नाम	अनुक्रमांक	पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री सुबोध कुमार	113524	श्री त्रिवेणी सिंह	20 10 1984	ग्राम-कूल, पोस्ट-नालन्दा पुलिस स्टेशन-नालन्दा, जिला-नालन्दा, बिहार पिन कोड-803111	अनारक्षित	9
2	श्री मिहिर झा	116260	श्री शकर झा	10 02.1983	ग्राम-बनगाव दक्षिणी वार्ड-9 पोस्ट-बनगाव पुलिस स्टेशन-बनगाव जिला-सहरसा, बिहार पिन कोड-852212	अनारक्षित	14
3	श्री राजेश कुमार	116123	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	10.01 1986	ग्राम-विजरूक, पोस्ट-सबनीमा पुलिस स्टेशन-अथमलगोला जिला-पटना, बिहार पिन कोड-803212	अनारक्षित	23
4	श्री सतोष कुमार	116305	श्री रामानन्द वर्मा	18.09 1989	ग्राम-कोरियावा पोस्ट-शोरमपुर पुलिस स्टेशन-जानीपुर जिला-पटना, बिहार पिन कोड-801505	अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग कुश्वाहा (कोईरी)	28

2. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेख के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में आपकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आपके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

3. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार सभी कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2014 के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर विभिन्न वादों में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से उक्त नियुक्ति प्रभावित होगी।



5. जिन अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन अप्राप्त है, उनके संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

6. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

ह0/-

(सुनील कुमार यादव)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था03/1-13/2018- /यो0वि0,पटना,दिनांक जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था03/1-13/2018- /यो0वि0,पटना,दिनांक जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/संबंधित जिला योजना पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/संयुक्त निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्वद, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था03/1-13/2018- /यो0वि0,पटना,दिनांक जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था03/1-13/2018- 01 /यो0वि0,पटना,दिनांक 01 जनवरी, 2019
प्रतिलिपि: ✓आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

5) 21.1.19